20101224201140001

**महाराष्ट्र शासन**

क्र.अशस-२००९/६०१/प्र.क्र.९४/नवि-२०
नगर विकास विभाग,
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२.
दिनांक :- २३ डिसेंबर, २०१०

प्रति,
मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव,
राज्यमंत्री,(नगर विकास ) यांचे खासगी सचिव
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२
प्रधान सचिव-१/सचिव-२, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.
महालेखापाल, मुबई - १ (लेखा व हक्कदारी), महाराष्ट्र, मुंबई
महालेखापाल, मुबई - १ (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई
विभागीय आयुक्त तथा , प्रादेशिक संचालक, नगर परिषद प्रशासन, कोकण विभाग
जिल्हाधिकारी, ठाणे
आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका,
संचालक, महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालनालय, अंधेरी (पू.) मुंबई.-९३
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, उद्योग सारथी, मरोळ, अंधेरी (पू.) मुंबई-९३
जिल्हा कोषागार अधिकारी,ठाणे

**विषय :- महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना अधिनियम-२००६ नुसार नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या अग्निशमन सेवेसाठी सुधारित शुल्कास मंजूरी मिळणेबाबत.**

महोदय,

शासनाने महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ-मध्य उप-विभाग असाधारण क्रमांक १२१, दिनांक ०४ ऑक्टोबर २०१० रोजी प्रसिध्द केलेल्या अधिसूचनेची प्रत सोबत जोडली आहे.

आपला,

( र. शि. घाटगे )
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

सहपत्र : वरिलप्रमाणे

प्रत,

सह सचिव / उप सचिव नगर विकास विभाग मंत्रालय, मुंबई-३२
कार्यासन अधिकारी,कार्यासन, नवि-२८ नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२
कार्यासन नवि-२९ नगर विकास विभाग. मंत्रालय, मुंबई-३२ (महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर प्रसिध्दीकरिता)
निवड नस्ती / नवि-२०.

2010122420114000l

RNI No. MAHBIL/2009/31748



# महाराष्ट्र शासन राजपत्र

# असाधारण भाग एक-अ—मध्य उप-विभाग

वर्ष २, अंक ४७] बुधवार, नोव्हेंबर २४, २०१०/अग्रहायण ३, शके १९३२ [पृष्ठे १०, किंमत : रुपये २०.००

**असाधारण क्रमांक १२१**

## प्राधिकृत प्रकाशन

**महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण आणि स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम यांखालील (भाग चार-ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त) आदेश व अधिसूचना.**

## नगरविकास विभाग

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१०

## अधिसूचना

**महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम, २००६.**

क्रमांक अशस. २००९/६०१/प्र. क्र. ९४/०९/नवि-२०.—ज्याअर्थी, नवी मुंबई महानगरपालिका यांनी महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम, २००६ (२००७ चा महा. तीन) च्या कलम १२ (१) (क) नुसार, त्यांच्या क्षेत्रात अग्निशमन सेवा शुल्क आकारणे, गोळा करणे व वसुली करण्यासाठी सर्वसाधारण सभा ठराव क्र. ७०७, दिनांक २५ फेब्रुवारी २००९ रोजी संमत केला आहे ;

ज्याअर्थी, नवी मुंबई महानगरपालिकेने त्यांच्या क्षेत्रात अग्निशमन फी आकारणे, गोळा करणे व वसुली करण्यासाठीच्या प्रस्तावास मान्यता मिळण्यासाठी शासनास विनंती केली आहे.

त्याअर्थी, महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम, २००६ च्या कलम १२ (२) नुसार शासनास असलेल्या अधिकारात महानगरपालिकेची विनंती विचारात घेऊन महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम, २००६ च्या कलम ११ (३) व कलम १३ (२) व (३) अन्वये अनुसूची 'अ' व 'ब' मध्ये नमूद केलेली शुल्क आकारणी करण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे. सदर शुल्क आकारणी **राजपत्रातील** अधिसूचनेद्वारे प्रसिद्ध केलेल्या दिनांकापासून अंमलात येईल.

### अनुसूची अ

**नवी मुंबई महानगरपालिकेतर्फे आकारावयाचे अग्निशमन सेवा शुल्क**

**(अ) नवीन इमारतींसाठी**

| अनु-क्रमांक | इमारतीच्या भोगवटाचा प्रकार | म. आ. प्र. व जि. सु. उ. अधिनियम, २००६ नुसार अग्नि. सेवा शुल्क आकारणी तरतूद | | शासनाने मान्यता दिलेली अग्निशमन सेवा शुल्क आकारणी. | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | फी प्रती चौरस मीटर रुपये | किमान....... रुपयांच्या अधिन | फी प्रती चौरस मीटर रुपये | किमान....... रुपयांच्या अधिन |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) |
| | निवासी इमारती (क) | | | | |
| (क) | लॉजींग किंवा भाड्याने देता येतील अशी घरे (क-१) | | | | |
| | १५ मीटरपेक्षा कमी उंचीच्या | | | | |
| | (एक) १५ खोल्यापर्यंत | ३.०० | २०,०००.०० | १५.०० | २०,०००.०० |
| | (दोन) १५ पेक्षा अधिक व ३० खोल्यापर्यंत | ५.०० | २५,०००.०० | १५.०० | २५,०००.०० |
| | (तीन) ३० खोल्यांपेक्षा अधिक | ७.०० | ३०,०००.०० | १५.०० | ३०,०००.०० |

अनुसूची अ—चालू

| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) |
|---|---|---|---|---|---|
| **(ख)** | **वेश्मिका (क-४)** | | | | |
| (१) | १५ ते २४ मीटर उंचीच्या | ३.०० | २०,०००.०० | ५.०० | २०,०००.०० |
| (२) | २४ मीटर व त्यावरील परंतु ३५मीटरपेक्षा अधिक उंच नसलेल्या. | ५.०० | २०,०००.०० | २०.०० | २०,०००.०० |
| (३) | ३५ मीटरपेक्षा अधिक परंतु ४५ मीटरपेक्षा अधिक उंच नसलेल्या. | ७.०० | ३५,०००.०० | २०.०० | ३५,०००.०० |
| (४) | ४५ मीटरपेक्षा अधिक उंचीच्या | १०.०० | ५०,०००.०० | ३०.०० | ५०,०००.०० |
| **(ग)** | **हॉटेल्स (क-५)** | | | | |
| | १५ मीटरपेक्षा कमी उंचीच्या | | | | |
| (१) | (एक) प्रत्येक मजल्यावर ३०० चौरस मीटरपेक्षा अधिक नाही इतके क्षेत्र व्यापलेल्या. | ३.०० | २०,०००.०० | १५.०० | २०,०००.०० |
| | (दोन) प्रत्येक मजल्यावर ३०० चौरस मीटरपेक्षा अधिक परंतु १००० चौरस मीटरपेक्षा अधिक नाही इतके क्षेत्र व्यापलेल्या. | ५.०० | २५,०००.०० | १५.०० | २५,०००.०० |
| | (तीन) प्रत्येक मजल्यावर १००० चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्र व्यापलेल्या. | ७.०० | ३५,०००.०० | १५.०० | ३५,०००.०० |
| (२) | १५ मीटर आणि त्यावरील परंतु ३० मीटरपेक्षा अधिक नसलेल्या. | १०.०० | ५०,०००.०० | २५.०० | ५०,०००.०० |
| (३) | ३० मीटर वरील उंचीच्या | १२.०० | ७५,०००.०० | ५०.०० | ७५,०००.०० |
| **(घ)** | **हॉटेल्स (तारांकित) (क-६)** | | | | |
| (१) | १५ मीटरपेक्षा कमी उंचीच्या | | | | |
| | (एक) त्रितारांकित हॉटेल्स | १२.०० | ७५,०००.०० | २५.०० | ७५,०००.०० |
| | (दोन) पंचतारांकित हॉटेल्स | १५.०० | १,००,०००.०० | २५.०० | १,००,०००.०० |
| | (तीन) सप्ततारांकित डिलक्स हॉटेल्स | २०.०० | १,५०,०००.०० | २५.०० | १,५०,०००.०० |
| (२) | १५ मीटर आणि त्यावरील परंतु ३० मीटरपेक्षा अधिक उंची नसलेल्या. | २५.०० | २,००,०००.०० | *रु. २५.०० २४ मी. पर्यंत *रु. ५०.०० २४ मीटर ते ४५ मीटर पर्यंतच्या | २,००,०००.०० |
| (३) | ३० मीटरपेक्षा अधिक उंचीच्या | ३०.०० | २,५०,०००.०० | *रु. १००.०० ४५ मीटरच्या वर | २,५०,०००.०० |

**टीप** :—*महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव सुरक्षा अधिनियम, २००६ कलम ११(३) तरतुदीनुसार आकारणी.

| अनु-क्रमांक | इमारतीच्या भोगवटाचा प्रकार | म. आ. प्र. व जि. सु. उ. अधिनियम, २००६ नुसार अग्नि. सेवा शुल्क आकारणी तरतूद | | शासनाने मान्यता दिलेली अग्निशमन सेवा शुल्क आकारणी | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | फी प्रती चौरस मीटर रुपये | किमान...... रुपयांच्या अधिन | फी प्रती चौरस मीटर रुपये | किमान...... रुपयांच्या अधिन |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) |
| | **शैक्षणिक इमारती (ख)** | | | | |
| (१) | १५ मीटरपेक्षा कमी उंचीच्या | | | | |
| | (एक) तळमजला अधिक एक मजल्याच्या | ३.०० | २०,०००.०० | ३.०० | २०,०००.०० |
| | (दोन) तळमजला अधिक दोन मजल्याच्या | ५.०० | २५,०००.०० | ५.०० | २५,०००.०० |
| (२) | १५ मीटर व त्यावरील परंतु ३० मीटरपेक्षा अधिक नाही इतक्या उंचीच्या. | ७.०० | ३५,०००.०० | ७.०० | ३५,०००.०० |
| | **संस्थेच्या इमारती (ग)** | | | | |
| | **रुग्णालये, आरोग्यधाम, शुश्रुषागृहे (ग-१)** | | | | |
| (१) | १५ मीटरपेक्षा कमी उंचीच्या | | | | |
| | (एक) १००० चौ. मीटरपेक्षा कमी भुखंड क्षेत्राच्या तळमजला + १ मजला असलेल्या व खाटा नसलेल्या. | ३.०० | २०,०००.०० | ३.०० | २०,०००.०० |

अनुसूची अ--चालू

| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) |
|---|---|---|---|---|---|
| | (दोन) १००० चौ. मीटरपेक्षा कमी भूखंड क्षेत्राच्या तळमजला + १ मजला असणाऱ्या व खाटा असलेल्या. | ५.०० | २५,०००.०० | ५.०० | २५,०००.०० |
| | (तीन) दोन मजल्यांपेक्षा अधिक मजले असलेल्या व खाटा नसलेल्या. | ६.०० | ३०,०००,०० | ६.०० | ३०,०००.०० |
| | (चार) दोन मजल्यांपेक्षा अधिक मजले असलेल्या व खाटा असलेल्या. | ७.०० | ३५,०००.०० | ७.०० | ३५,०००.०० |
| (२) | १५ मीटर व त्यावरील उंचीच्या, परंतु २४ मीटरपेक्षा अधिक नाही अशा उंचीच्या. | ८.०० | ४०,०००.०० | ८.०० | ४०,०००.०० |
| (३) | २४ मीटरपेक्षा अधिक आणि उंचीच्या | १०.०० | ५०,०००,०० | १०.०० | ५०,०००.०० |
| **(ख)** | **अभिरक्षार्थ (ग-२) व शिक्षार्थ व प्लेन्टल (ग-३)** | | | | |
| (१) | १० मीटरपेक्षा कमी उंचीच्या | | | | |
| | (एक) ३०० व्यक्तिपर्यंत | ३.०० | २०,०००.०० | ३.०० | २०,०००.०० |
| | (दोन) ३०० व्यक्तिपेक्षा अधिक | ५.०० | २५,०००.०० | ५.०० | २५,०००.०० |
| (२) | १० मीटर व त्यावरील परंतु १५ मीटरपेक्षा अधिक नाही अशा उंचीच्या. | ५.०० | ३०,०००.०० | ५.०० | ३०,०००.०० |
| (३) | १५ मीटर व त्यावरील परंतु २४ मीटरपेक्षा अधिक नाही अशा उंचीच्या. | ७.०० | ३५,०००.०० | ७.०० | ३५,०००.०० |
| (४) | २४ मीटर व त्यावरील परंतु ३० मीटरपेक्षा अधिक नाही अशा उंचीच्या. | १०.०० | ५०,०००.०० | १०.०० | ५०,०००.०० |
| | **समाज मंदिरे (घ)** | | | | |
| | **(घ-१ ते घ-५)** | | | | |
| (१) | १० मीटरपेक्षा कमी उंचीच्या | | | | |
| | (एक) ३०० व्यक्तिपर्यंत | ३.०० | २०,०००.०० | ३.०० | २०,०००.०० |
| | (दोन) ३०० व्यक्तिपेक्षा अधिक | ५.०० | २५,०००.०० | ५.०० | २५,०००.०० |
| (२) | १० मी. वरील परंतु १५ मी. पेक्षा अधिक नाही अशा उंचीच्या. | ६.०० | ३०.०००.०० | ६.०० | ३०,०००.०० |
| (३) | १५ मी. वरील परंतु २४ मी. पेक्षा अधिक नाही अशा उंचीच्या. | ७.०० | ३५,०००.०० | ७.०० | ३५,०००.०० |
| (४) | २४ मीटरवरील परंतु ३० मीटरपेक्षा अधिक नाही अशा उंचीच्या. | १०.०० | ५०,०००.०० | १०.०० | ५०,०००.०० |
| | **व्यवसायीक इमारती (ङ)** | | | | |
| (१) | १० मीटरपेक्षा कमी उंचीच्या | ३.०० | २५.०००.०० | २५.०० | २५,०००.०० |
| (२) | १० मीटरवरील परंतु १५ मीटरपेक्षा अधिक नाही अशा उंचीच्या. | ५.०० | ३५.०००.०० | २५.०० | ३५,०००.०० |
| (३) | १५ मीटरवरील व २४ मीटरपर्यंत उंचीच्या | ७.०० | ५०,०००.०० | २५.०० | ५०,०००.०० |
| (४) | २४ मीटरवरील उंचीच्या | १०.०० | ७५,०००.०० | ५०.०० | ७५,०००.०० |
| | **वाणिज्यिक इमारती (च)** | | | | |
| | **(च-१ व च-२)** | | | | |
| (१) | १५ मीटरपेक्षा कमी उंचीच्या | | | | |
| | (एक) तळमजला अधिक एक मजल्याच्या, ५०० चौरस मीटरपेक्षा अधिक नाही इतके क्षेत्र व्यापलेल्या. | ३.०० | २०,०००.०० | २५.०० | २०,०००.०० |
| | (दोन) तळमजला अधिक एक मजल्याच्या आणि ५०० चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्र व्यापलेल्या. | ५.०० | २५,०००.०० | २५.०० | २५,०००.०० |
| | (तीन) तळमजला अधिक एक मजला यापेक्षा अधिक मजल्याच्या. | ७.०० | ३५,०००.०० | २५.०० | ३५,०००.०० |

अनुसूची अ—चालू

| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) |
|---|---|---|---|---|---|
| (२) | १५ मीटरवरील परंतु २४ मीटरपेक्षा अधिक नाही अशा उंचीच्या. | ८.०० | ५०.०००.०० | २५.०० | ५०,०००.०० |
| (३) | २४ मीटरवरील परंतु ३० मीटरपेक्षा अधिक नाही अशा उंचीच्या. | १०.०० | ७५.०००.०० | ५०.०० | ७५,०००.०० |
| (ख) | **भुयारी व्यापारी संकुल (च-३)** | | | | |
| | **औद्योगिक इमारती (छ)—** | | | | |
| (क) | **कमी धोक्याच्या (छ-१)** | | | | |
| | १८ मीटर उंचीपर्यंतच्या,— | | | | |
| | (एक) ५० चौरस मीटरपर्यंत क्षेत्र व्यापलेल्या. | ३.०० | २०,०००.०० | २५.०० | २०,०००.०० |
| | (दोन) ५० चौरस मीटरपेक्षा अधिक आणि १०० चौरस मीटरपर्यंत क्षेत्र व्यापलेल्या. | ५.०० | २५,०००.०० | २५.०० | २५,०००.०० |
| | (तीन) १०० चौरस मीटरपेक्षा अधिक आणि २०० चौरस मीटरपर्यंत क्षेत्र व्यापलेल्या. | ७.०० | ३५,०००.०० | २५.०० | ३५,०००.०० |
| | (चार) २०० चौरस मीटरपेक्षा अधिक आणि ४०० चौरस मीटरपर्यंत क्षेत्र व्यापलेल्या. | १०.०० | ५०,०००.०० | २५.०० | ५०,०००.०० |
| | (पाच) ४०० चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्र व्यापलेल्या. | १५.०० | १,००,०००.०० | २५.०० | १,००,०००.०० |
| (ख) | **मध्यम धोक्याच्या (छ-२)** | | | | |
| | १८ मीटर उंचीपर्यंतच्या | | | | |
| | (एक) १०० चौरस मीटरपर्यंत क्षेत्र व्यापलेल्या. | ३.०० | २०,०००.०० | २५.०० | २०,०००.०० |
| | (दोन) १०० चौरस मीटरपेक्षा अधिक आणि २५० चौरस मीटरपर्यंत क्षेत्र व्यापलेल्या. | ५.०० | ३५,०००.०० | २५.०० | ३५,०००.०० |
| | (तीन) २५० चौरस मीटरपेक्षा अधिक आणि ५०० चौरस मीटरपर्यंत क्षेत्र व्यापलेल्या. | ७.०० | ५०,०००.०० | २५.०० | ५०,०००.०० |
| | (चार) ५०० चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्र व्यापलेल्या. | १०.०० | १,००,०००.०० | २५.०० | १,००,०००.०० |
| (ग) | **अति धोक्याच्या (छ-३)** | | | | |
| | (टीप (२) पहा) | | | | |
| | **(क) १५ मीटर उंचीपर्यंतच्या** | | | | |
| | (एक) ५० चौरस मीटरएवढे क्षेत्र व्यापलेल्या | ३.०० | २५,०००.०० | २५.०० | २५,०००.०० |
| | (दोन) ५० चौरस मीटरपेक्षा अधिक आणि १५० चौरस मीटरपर्यंत क्षेत्र व्यापलेल्या. | ५.०० | ३०,०००.०० | २५.०० | ३०,०००.०० |
| | (तीन) १५० चौरस मीटरपेक्षा अधिक आणि ३०० चौरस मीटरपर्यंत क्षेत्र व्यापलेल्या. | ७.०० | ४०,०००.०० | २५.०० | ४०,०००.०० |
| | (चार) ३०० चौरस मीटरपेक्षा अधिक आणि ५०० चौरस मीटरपर्यंत क्षेत्र व्यापलेल्या. | १०.०० | ५०,०००.०० | २५.०० | ५०,०००.०० |
| | (पाच) ५०० चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्र व्यापलेल्या. | १५.०० | १,००,०००.०० | २५.०० | १,००,०००.०० |

| अनु-क्रमांक | इमारतीच्या भोगवटाचा प्रकार | म. आ. प्र. व जि. सु. उ. अधिनियम २००६ नुसार अग्नि. सेवा शुल्क आकारणी तरतूद | | शासनाने मान्यता दिलेली अग्निशमन सेवा शुल्क आकारणी. | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | फी प्रती सौरस मीटर रुपये | किमान...... रुपयांच्या अधिन | फी प्रती चौरस मीटर रुपये | किमान...... रुपयांच्या अधिन |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) |
| (ख) | **धोकादायक वायु पेट्रोलियम पदार्थ वाहून नेणारे क्षेत्रपार (cross country) नळ मार्ग गोदामे (ज)** | १५.०० प्रति मीटर | १,००,०००.०० | २५.०० | १,००,०००.०० |
| (१) | १५ मीटर उंचीपर्यंतची | | | | |
| | (एक) एक मजली इमारती | ७.०० | २०,०००.०० | २५.०० | २०,०००.०० |
| | (दोन) तळमजला अधिक एक मजला | १०.०० | २५,०००.०० | २५.०० | २५,०००.०० |
| (२) | तळमजला अधिक एकाहुन अधिक मजले | १५.०० | ३५,०००.०० | २५.०० | ३५,०००.०० |

अनुसूची—अ-समाप्त

| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) |
|---|---|---|---|---|---|
| | **धोकादायक इमारती (झ)** | | | | |
| (१) | १५ मीटर उंचीपर्यंतच्या | | | | |
| | (एक) एक मजली इमारत | १०.०० | २५,०००.०० | २५.०० | २५,०००.०० |
| | (दोन) एक मजल्यापेक्षा अधिक मजल्याची इमारत परंतु १५ मीटरपेक्षा अधिक उंच नाही अशी इमारत. | १५.०० | ३५,०००.०० | २५.०० | ३५,०००.०० |

## अनुसूची ब

### (ब) निवासी इमारतींसाठी अग्निशमन सेवेकरिता ना-हरकत दाखला नुतनीकरण शुल्क आकारणी

[महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसुरक्षा उपाययोजना अधिनियम, २००६, प्रकरण ४ मधील कलम १३ (१) नुसार]

| अ. क्र. | निवासी इमारतींची उंची | ना हरकत दाखला नूतनीकरण अग्निशमन सेवा शुल्क | |
|---|---|---|---|
| | | ६ डिसेंबर २००८ पर्यंतच्या इमारती | ६ डिसेंबर २००८ नंतरच्या इमारती |
| १ | २४ मीटरपर्यंत | रु. ५०० प्रती रायझर | अग्निशमन सेवा शुल्काच्या १ टक्का किंवा रु. ७५० यापैकी जास्त असलेली रक्कम. |
| २ | २४ ते ३५ मीटर | रु. ७५० प्रती रायझर | अग्निशमन सेवा शुल्काच्या १ टक्का किंवा रु. १,००० यापैकी जास्त असलेली रक्कम. |
| ३ | ३५ ते ४५ मीटर | रु. १,००० प्रती रायझर | अग्निशमन सेवा शुल्काच्या १ टक्का किंवा रु. १,५०० यापैकी जास्त असलेली रक्कम. |
| ४ | ४५ मीटरच्या वर | रु. १,००० प्रती रायझर | अग्निशमन सेवा शुल्काच्या १ टक्का किंवा रु. २,००० यापैकी जास्त असलेली रक्कम. |

### (क) अनिवासी इमारती (हॉटेल्स, गेस्ट हाऊस, शैक्षणिक, संस्थेच्या इमारती, अभिरक्षार्थ व शिक्षार्थ, समाजमंदिरे, व्यावसायिक, वाणिज्य, भुयारी व्यापारी संकुले, औद्योगिक, धोकादायक) इत्यादीकरिता ना-हरकत दाखला नूतनीकरण शुल्क आकारणी.

| अ. क्र. | निवासी इमारतींची उंची | ना हरकत दाखला नूतनीकरण अग्निशमन सेवा शुल्क | |
|---|---|---|---|
| | | ६ डिसेंबर २००८ पर्यंतच्या इमारती | ६ डिसेंबर २००८ नंतरच्या इमारती |
| १ | २४ मीटरपर्यंत | रु. ७५० प्रती रायझर (कायम स्वरूपी आग विझवणी यंत्रणा असलेल्या). रु. ५०० (कायम स्वरूपी आग विझवणी यंत्रणा नसलेल्या). | अग्निशमन सेवा शुल्काच्या १ टक्का किंवा रु. १,००० यापैकी जास्त असलेली रक्कम. |
| २ | २४ ते ३५ मीटर | रु. १,००० प्रती रायझर | अग्निशमन सेवा शुल्काच्या १ टक्का किंवा रु. १,५०० यापैकी जास्त असलेली रक्कम. |
| ३ | ३५ ते ४५ मीटर | रु. १,५०० प्रती रायझर | अग्निशमन सेवा शुल्काच्या १ टक्का किंवा रु. २,००० यापैकी जास्त असलेली रक्कम. |
| ४ | ४५ मीटरपेक्षा अधिक | रु. २,००० प्रती रायझर | अग्निशमन सेवा शुल्काच्या १ टक्का किंवा रु. ३,००० यापैकी जास्त असलेली रक्कम. |

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

**डॉ. दिपक म्हैसेकर,**
शासनाचे उप सचिव.

## URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 4th October 2010

*NOTIFICATION*

MAHARASHTRA FIRE PREVENTION AND LIFE SAFETY MEASURES ACT, 2006.

No. AFS-2009/601/CR-94/09/UD-20.—Whereas the Municipal Corporation of the City of Navi Mumbai has, as provided in clause (a) of sub-section (*1*) of section 12 of the Maharashtra Fire Prevention and Life Safety Measures Act, 2006 (Mah. III of 2007) by the resolution No. 707 passed in its special meeting held on dated 25th February 2009, approved the proposal to enhance the rates of Fire Service Fee and Annual Fee and levy the same as contained in the said Resolution in its jurisdiction ;

And whereas, the said Corporation has requested the Government to accord previous sanction to the said proposal to enhance the rates of Fire Service Fee and Annual Fee and levy the same in the jurisdiction of the said Corporation as contained in the said Resolution ;

Now, therefore, the Government of Maharashtra, in exercise of the powers conferred by sub-section (*2*) of section 12 read with sub-section (*3*) of section 11 and sub-section (*2*) and (*3*) of section 13 of the Maharashtra Fire Prevention and Life Safety Measures Act, 2006, hereby, after considering the request of the said Corporation, accords sanction to the proposal of the said Corporation to enhance the rates of Fire Service Fee and Annual Fee as specified in the Schedule ' A ' and Schedule ' B ' appended hereto, respectively, and levy the same in the jurisdiction of the said Corporation, with effect from the date of publication of this notification in the *Official Gazette.*

*SCHEDULE "A"*

**Fire Service Fee to be Levied by Navi Mumbai Municipal Corporation**

**(A) New Buildings**

| Sr. No. | Type of Building Occupancy | Provision to Levy Fire Service Fees as per Maharashtra Fire Prevention and Life Safety Measures Act, 2006 | | Fire Service Fees Approved By Government | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fees in Rs. Per sq. Mt. | Subject to Minimum of Rs. | Fees in Rs. per sq. Mt. | Subject to Minimum of Rs. |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | **RESIDENTIAL BUILDING(A)** | | | | |
| (a) | **Lodging & rooming House (A-1)** Less Than 15 m in Height | | | | |
| | (i) Up to 15 Rooms | 3.00 | 20,000.00 | 15.00 | 20,000.00 |
| | (ii) More than 15 and upto 30 Rooms | 5.00 | 25,000.00 | 15.00 | 25,000.00 |
| | (iii) More than 30 Rooms | 7.00 | 30,000.00 | 15.00 | 30,000.00 |
| (b) | **Apartment House (A-4)** | | | | |
| 1 | From 15 m to 24 m in Height | 3.00 | 20,000.00 | 5.00 | 20,000.00 |
| 2 | 24 m and above but not exceeding 35 m in height. | 5.00 | 20,000.00 | 20.00 | 20,000.00 |
| 3 | Above 35 m but not exceeding 45m in height. | 7.00 | 35,000.00 | 20.00 | 35,000.00 |
| 4 | Above 45 m in height. | 10.00 | 50,000.00 | 30.00 | 50,000.00 |
| (c) | **Hotels (A-5)** | | | | |
| 1 | Less than 15 m in height. | | | | |
| .. | (i) Covered area not exceeding 300 $m^2$ on each floor. | 3.00 | 20,000.00 | 15.00 | 20,000.00 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | (ii) Covered area exceeding 300 $m^2$ but not more $1000m^2$ on each floor | 5.00 | 25,000.00 | 15.00 | 25,000.00 |
| | (iii) Covered area exceeding $1000m^2$ on each floor. | 7.00 | 35,000.00 | 15.00 | 35,000.00 |
| 2 | 15m and above but not exceeding 30 m. | 10.00 | 50,000.00 | 25.00 | 50,000.00 |
| 3 | Above 30m in height. | 12.00 | 75,000.00 | 50.00 | 75,000.00 |
| (d) | **Hotels (Starred) (A-6)** | | | | |
| 1 | Less than 15 m in height. | | | | |
| | (i) 3 starred Hotels | 12.00 | 75,000.00 | 25.00 | 75,000.00 |
| | (ii) 5 starred Hotels | 15.00 | 1,00,000.00 | 25.00 | 1,00,000.00 |
| | (iii) 7 starred Deluxe Hotels | 20.00 | 1,50,000.00 | 25.00 | 1,50,000.00 |
| 2 | 15m & above but not exceeding 30m in height. | 25.00 | 2,00,000.00 | * Rs 25.00 up to 24 m *Rs. 50.00 from 24 m to 45 m. | 2,00,000.00 |
| 3 | Above 30 meters in height. | 30.00 | 2,50,000.00 | *Rs. 100 Above 45 m | 2,50,000.00 |
| | **EDUCATIONAL BUILDING (B)** | | | | |
| 1 | Less than 15 m in height | | | | |
| | (i) Ground plus one storey | 3.00 | 20,000.00 | 3.00 | 20,000.00 |
| | (ii) Ground plus two storey | 5.00 | 25,000.00 | 5.00 | 25,000.00 |
| 2 | 15m and above but not exceeding 30m in height. | 7.00 | 35,000.00 | 7.00 | 35,000.00 |

***Revised as per provision under section 11(3) Maharashtra Fire Prevention and Life Safety Measures Act, 2006.**

| Sr. No. | Type of Building Occupancy | Provision to Levy Fire Service Fees as per Maharashtra Fire Prevention and Life Safety Measures Act, 2006 | | Fire Service Fees Approved By Government | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fees in Rs. per Sq.Mt | Subject to Minimum of Rs. | Fees in Rs. per Sq. Mt. | Subject to Minimum of Rs. |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | **INSTITUTIONAL BUILDING(C)** | | | | |
| (a) | **Hospitals, Sanatoria and Nursing Homes (C-1)** | | | | |
| 1 | Less than 15m in height | | | | |
| | (i) Upto ground plus one storey with plot area less than $1000m^2$ with no beds. | 3.00 | 20,000.00 | 3.00 | 20,000.00 |
| | (ii) Upto ground plus one storey with plot area greater than $1000m^2$ with beds. | 5.00 | 25,000.00 | 5.00 | 25,000.00 |
| | (iii) above two storey with no beds | 6.00 | 30,000.00 | 6.00 | 30,000.00 |
| | (iv) above two storey with beds | 7.00 | 35,000.00 | 7.00 | 35,000.00 |
| 2 | 15m and above but not exceeding 24m in height. | 8.00 | 40,000.00 | 8.00 | 40,000.00 |
| 3 | Above 24 m and not exceeding 30m in height. | 10.00 | 50,000.00 | 10.00 | 50,000.00 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| (b) | **Custodial (C-2) and penal and plental (C-3)** | | | | |
| 1 | Less than 10m in Height | | | | |
| | (i) upto 300 persons | 3.00 | 20,000.00 | 3.00 | 20,000.00 |
| | (ii) more than 300 persons | 5.00 | 25,000.00 | 5.00 | 25,000.00 |
| 2 | 10m and above but not exceeding 15 m in height. | 5.00 | 30,000.00 | 5.00 | 30,000.00 |
| 3 | 15m and above but not exceeding 24 m in height. | 7.00 | 35,000.00 | 7.00 | 35,000.00 |
| 4 | 24m and above but not exceeding 30 m in height. | 10.00 | 50,000.00 | 10.00 | 50,000.00 |
| | **ASSEMBLY BUILDINGS (D) (D-1 TO D-5)** | | | | |
| 1 | Less than 10m in Height | | | | |
| | (i) upto 300 persons | 3.00 | 20,000.00 | 3.00 | 20,000.00 |
| | (ii) more than 300 persons | 5.00 | 25,000.00 | 5.00 | 25,000.00 |
| 2 | Above 10m but not exceeding 15m in height. | 6.00 | 30,000.00 | 6.00 | 30,000.00 |
| 3 | Above 15m and above but not exceeding 24 m in height. | 7.00 | 35,000.00 | 7.00 | 35,000.00 |
| 4 | Above 24m but not exceeding 30m in hight. | 10.00 | 50,000.00 | 10.00 | 50,000.00 |
| | **BUSINESS BUILDING (E)** | | | | |
| 1 | Less than 10 m in height | 3.00 | 25,000.00 | 25.00 | 25,000.00 |
| 2 | Above 10 m but not exceeding 15 m in height. | 5.00 | 35,000.00 | 25.00 | 35,000.00 |
| 3 | Above 15 m and up 24 m in height | 7.00 | 50,000.00 | 25.00 | 50,000.00 |
| 4 | Above 24 m in height | 10.00 | 75,000.00 | 50.00 | 75,000.00 |
| | **MERCANTILE BUILDINGS (F) (F-1 & F-2)** | | | | |
| 1 | Less than 15m in height | | | | |
| | (i) Ground plus one storey with total covered area not exceeding 500 $m^2$. | 3.00 | 20,000.00 | 25.00 | 20,000.00 |
| | (ii) Ground plus one storey and covered area exceeding 500 $m^2$. | 5.00 | 25,000.00 | 25.00 | 25,000.00 |
| | (iii) More than ground plus one storey | 7.00 | 35,000.00 | 25.00 | 35,000.00 |
| 2 | Above 15 m but not exceeding 24 m in height. | 8.00 | 50,000.00 | 25.00 | 50,000.00 |
| 3 | Above 24 m but not exceeding 30 m in height. | 10.00 | 75,000.00 | 50.00 | 75,000.00 |
| (b) | **Under ground shopping complex (F-3).** | | | | |
| | **INDUSTRIAL BUILDING (G)** | | | | |
| (a) | **Low Hazard (G-1)** | | | | |
| 1 | upto 18m in Height | | | | |
| | (i) covered area upto 50 $m^2$ | 3.00 | 20,000.00 | 25.00 | 20,000.00 |
| | (ii) covered area above 50 $m^2$ and upto $100m^2$. | 5.00 | 25,000.00 | 25.00 | 25,000.00 |
| | (iii) covered area above 100 $m^2$ and upto $200m^2$. | 7.00 | 35,000.00 | 25.00 | 35,000.00 |
| | (iv) covered area above 200 $m^2$ and upto $400m^2$. | 10.00 | 50,000.00 | 25.00 | 50,000.00 |
| | (v) covered area above 400 $m^2$. | 15.00 | 1,00,000.00 | 25.00 | 1,00,000.00 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| **(b)** | **Moderate Hazard (G-2)** | | | | |
| 1 | upto 18m in Height | | | | |
| | (i) covered area upto 100 $m^2$ | 3.00 | 20,000.00 | 25.00 | 20,000.00 |
| | (ii) covered area above 100 $m^2$ and upto 250$m^2$. | 5.00 | 35,000.00 | 25.00 | 35,000.00 |
| | (iii) covered area above 250 $m^2$ and upto 500$m^2$. | 7.00 | 50,000.00 | 25.00 | 50,000.00 |
| | (iv) covered area above 500 $m^2$ | 10.00 | 1,00,000.00 | 25.00 | 1,00,000.00 |
| **(C)** | **High Hazard (G-3) (See Note 2)** | | | | |
| 1 | (A) upto 15m in Height | | | | |
| | (i) covered area upto 50 $m^2$ | 3.00 | 25,000.00 | 25.00 | 25,000.00 |
| | (ii) covered area above 50 $m^2$ and upto 150$m^2$. | 5.00 | 30,000.00 | 25.00 | 30,000.00 |
| | (iii) covered area above 150 $m^2$ and upto 300$m^2$. | 7.00 | 40,000.00 | 25.00 | 40,000.00 |
| | (iv) covered area above 300 $m^2$ and upto 500$m^2$. | 10.00 | 50,000.00 | 25.00 | 50,000.00 |
| | (v) covered area above 500 $m^2$ | 15.00 | 1,00,000.00 | 25.00 | 1,00,000.00 |
| | (B) Cross Country pipelines carrying hazardous gases and petroleum products. | 15.00 Per Meter | 1,00,000.00 | 25.00 | 1,00,000.00 |
| | **STORAGE BUILDINGS (H)** | | | | |
| 1 | Upto 15m in Height | | | | |
| | (i) Single storey building | 7.00 | 20,000.00 | 25.00 | 20,000.00 |
| | (ii) Ground plus one floor | 10.00 | 25,000.00 | 25.00 | 25,000.00 |
| 2 | Above ground plus one floor | 15.00 | 35,000.00 | 25.00 | 35,000.00 |
| | **HAZARDOUS BUILDINGS (J)** | | | | |
| 1 | Upto 15m in Height | | | | |
| | (i) Single storey building | 10.00 | 25,000.00 | 25.00 | 25,000.00 |
| | (ii) More than one floors building but not exceeding 15m. | 15.00 | 35,000.00 | 25.00 | 35,000.00 |

*NB.*— m=Meter, $m^2$=Square Meter, Sq. Mt.=Square Meter.

*SCHEDULE 'B'*

**(B) No Objection Certificate Renewal fees for Fire Services for Residential Buildings.**

[As Per the Provision for imposition of annual fees is also made in Maharashtra Fire Prevention and Life Safety Measures Act, 2006, as per Chapter 4 Sec. 13 (1)]

| Sr. No. | Heights of residential building | NOC renewal fees for Fire Service | |
|---|---|---|---|
| | | Residential buildings in existence upto 6th December 2008 | Residential buildings after 6th December 2008 |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Upto 24 meter | Rs. 500 per riser | One percent of fire service fees or Rs. 750 whichever is the more. |
| 2 | From 24 meter to 35 meter | Rs. 750 per riser | One percent of fire service fees or Rs. 1000 whichever is the more. |
| 3 | From 35 meter to 45 meter | Rs. 1000 per riser | One percent of fire service fees or Rs. 1500 whichever is the more. |
| 4 | Above 45 meter | Rs. 1000 per riser | One percent of fire service fees or Rs. 2000 whichever is the more. |

**(C) No Objection Certificate Renewal fees for Non Residential Buildings. (Hotels, Guest House, Lodging, Institutional Buildings, Educational Buildings, Assembly Buildings, Business Buildings, Mercantile Buildings, Industrial Buildings, Storage Buildings, Hazardous Buildings)**

| Sr. No. | Heights of Non Residential Building | NOC renewal fees for Fire Service | |
|---|---|---|---|
| | | Non residential buildings in existence upto 6th December 2008 | Non residential buildings after 6th December 2008 |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Upto 24 meter | Rs. 750 per riser (with fire fighting System) Rs. 500 (without fire fighting system) | One percent of fire service fees or Rs. 1000 whichever is the more. |
| 2 | From 24 meter to 35 meter | Rs. 1000 per riser | One percent of fire service fees or Rs. 1500 whichever is the more. |
| 3 | From 35 meter to 45 meter | Rs. 1500 per riser | One percent of fire service fees or Rs. 2000 whichever is the more. |
| 4 | Above 45 meter | Rs. 2000 per riser | One percent of fire service fees or Rs. 3000 whichever is the more. |

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

Dr. DEEPAK MHAISEKAR,

Deputy Secretary to Government.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.